



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082020-221068
CG-DL-E-11082020-221068

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2396]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942

No. 2396]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SRAVANA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

सं. 34/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

का.आ. 2702 (अ).— माननीय सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार, जैसा कि निम्न तालिका के स्तम्भ (5) में उल्लेखित है तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना एतद्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लेखित नोटिसी को तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्याय निर्णयन हेतु समान न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्रं. सं.	कारण बताओ नोटिस सं. और दिनांक	कारण बताओ नोटिस किसको निर्गमित किया गया	कारण बताओ नोटिस किसके द्वारा निर्गमित किया गया	माननीय सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल का आदेश सं और दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DRI/MZU/G/Inv-02/2008-2009 दिनांक 29.08.2009.	मै ग्रेफाइट इंडिया लि., बख्तावर, 2रा तल, नरीमन पॉइंट, मुंबई.	अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई	कस्टम अपील सं. 2012 की 667 मे A/86745/2019 दिनांक 17.09.2019

[फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-21/2020]

जसप्रीत सिंह सुखीजा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

(DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2020

No. 34/2020-Customs (N.T./CAA/DRI)

S.O. 2702 (E).—In terms of the directions contained in Hon'ble CESTAT's Orders, as stated in column(5) of the Table below and in pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Director General, Revenue Intelligence, hereby appoints the Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai as the Common Adjudicating Authority in respect of notice mentioned in column (3) of the Table for the purpose of adjudication of Show Cause Notice mentioned in column (2) of the Table namely:-

TABLE

Sl. No.	Show Cause Notice Number and Date	Show Cause Notice issued to	Show cause notice issued by	Hon'ble CESTAT's Order No. and Date
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DRI/MZU/G/Inv-02/2008-2009 dated 29.08.2009.	M/s Graphite India Ltd., Bakhtawar, 2 nd Floor, Nariman Point, Mumbai.	Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai.	A/86745/2019 dated 17.09.2019 in Customs Appeal No. 667 of 2012

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-21/2020]

JASPREET SINGH SUKHIJA, Jt. Director